

(ख) मार्च, 1990, मार्च 1991 और मार्च 1992 के अन्त में उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर क्रमशः 463760 लाख अमेरिकी डालर के बराबर 80345 करोड़ रुपये 511250 लाख अमेरिकी डालर के बराबर 100425 करोड़ रुपये और 536680 लाख अमेरिकी डालर के बराबर 166905 करोड़ रुपये देश पर बकाया विदेशी कर्ज था।

(ग) 30 सितम्बर, 1992 के अन्त की स्थिति के अनुसार उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर देश पर बकाया कर्ज 571250 लाख अमेरिकी डालर के बराबर 171310 करोड़ रुपये था।

(घ) से (च) सरकार देश के विदेशी कर्ज उत्तरदायित्व के प्रति सचेत है और देश के कर्ज के स्तर और ऋण परिशोधन के सम्भावित भार पर लगातार निगरानी रखती है। विदेशी ऋण लेते समय इस बात पर सदा ध्यान दिया जाता है कि देश का ऋण भार और ऋण परिशोधन उत्तरदायित्व ऐसे ऋणों के परिशोधन के लिए अर्धव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो। सरकार ने अल्पावधिक स्थायीत्व के साथ दीर्घावधिक पुनः संरचना के उद्देश्य से पहले ही आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम शुरू किया है। यह सुधार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे और हमारी विकास प्रक्रिया को सक्षम करेंगे जिसमें हमारी निर्यात क्षमता शामिल है ताकि ऋणों की वापसी अदायगी की हमारी क्षमता को बढ़ाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण परिशोधन भार ऐसे ऋणों के परिशोधन के लिए अर्धव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो।

भारत पर विदेशी कर्ज

170. श्री राम जेटमलानी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्टूबर, 1992 के "इकानॉमिक टाइम्स" में "एक्सटर्नल डेब्ट मेय टच 31.100 बिलियन सू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि यह विदेशी कर्ज सितम्बर, 1992 के अंत तक 75 से 80 बिलियन डालर तक हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस विदेशी कर्ज पर धुगतान किए जाने

वाले वार्षिक ब्याज की अनुमानित घनराशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकारी खाते, गैर-सरकारी खाते, विदेशी वाणिज्यिक उधारों और अन्तर्देशीय मुद्रा कोष के उधारों के संबंध में बकाया विदेशी ऋण की राशि सितम्बर, 1992 के अंत में 171310 करोड़ रुपये की होने का अनुमान है जो 5712.3 करोड़ अमेरिकी डालर के समकक्ष है।

(घ) बकाया विदेशी ऋण पर वर्ष 1992-93 में देय ब्याज की राशि 7148 करोड़ रुपये आंकी गई है।

Revamping of National Savings Scheme

171. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Savings Scheme has been revamped; and

(b) If so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Deposits in the National Savings Scheme, 1987 have been discontinued from 1.10.92. A new scheme, namely the National Savings Scheme, 1992 has been introduced from the same date.

(b) The salient features of the new scheme are as follows:

1. A separate account shall be opened in a Post office by every depositor each year.
2. An account can be opened by a single adult as well as by two adults jointly.
3. Interest at the rate of 11% p.a. shall be allowed on deposits under the scheme.
4. The interest credited in the account may be withdrawn at any time at the option of the depositor.